

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली  
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 72/2021

GCMS No. : 2021/220

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये आनन्द कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		श्री प्रदीप कुमार कुमावत पुत्र श्री बंशीलाल कुमावत मैसर्स बालाजी किराणा स्टोर मैन बाजार रानी जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 52

उपस्थित :-

- खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
- अप्रार्थी उपस्थित की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित उपस्थित।

—: निर्णय :-

दिनांक : 11.3.2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 02.02.2021 को दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स बालाजी किराणा स्टोर, मैन बाजार रानी, जिला पाली पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। अप्रार्थी से नाम पता पुछने पर अपना नाम प्रदीप कुमावत बताया एवं स्वयं को फर्म का मालिक होना बताया। फर्म के निरीक्षण के दौरान 200 ग्राम घी के 40 पैकेट रखे पाये गये, जिसे अप्रार्थी ने आमजन को विक्रय हेतु रखा था। उसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने घी (ब्राण्ड कृष्णम) का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर की जिसके लिए मेने दो प्रतियों में प्रपत्र 5-ए भरकर दिया जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। स्वतंत्र गवाहान नहीं होने कि स्थिति में मेरे साथ आये तुफैल मोहम्मद कार्यालय हाजा को गवाह बनाया गया एवं अप्रार्थी को बता दिया की घी (ब्राण्ड कृष्णम) का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जांच हेतु ले रहा हूं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में घी (ब्राण्ड कृष्णम) की 200-200 ग्राम के चार पैकेट वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 350/- रूपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा घी (ब्राण्ड कृष्णम) के पैकेट को नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर-1212 लिखा एवं नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनों को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाबे में लिया एवं मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार कि एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होंने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म-6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया घी (ब्राण्ड कृष्णम) का नमुना संख्या आर-1212 के संबध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/100/एक्ट/2021/198 दिनांक 16.02.2021 के



  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
पाली

अनुसार Misbranded (मिथ्याछाप) पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Misbranded (मिथ्याछाप) घी का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी की फर्म मैसर्स बालाजी किराणा स्टोर, मैन बाजार रानी, जिला पाली से घी (ब्राण्ड कृष्णम) का नमुना लिया गया जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही नहीं की गई है। चूंकि अप्रार्थी की फर्म से लिया गया नमुना घी (ब्राण्ड कृष्णम) का उत्पादन अप्रार्थी फर्म द्वारा नहीं किया जाता एवं न ही किसी प्रकार की मिलावट की जाती है। थोक विक्रेता से जिस पैकिंग अवस्था में खरीद किया जाता है उसी अवस्था में आमजन को विक्रय किया जाता है तथा घी (ब्राण्ड कृष्णम) के पैकिंग में अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का फेर बदल नहीं किया जाता है। थोक विक्रेता से घी (ब्राण्ड कृष्णम) की खरीद का बिल खो जाने से पेश करने में असमर्थ हूं। अतः अप्रार्थी पर कम से कम शास्ति आरोपित कर प्रकरण निस्तारित करावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रार्थी दिनांक 02.02.2021 को समय 11:00 एएम पर खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु फर्म मैसर्स बालाजी किराणा स्टोर, मैन बाजार रानी जिला पाली पर गये। वहा पर प्रदीप कुमावत ने स्वयं को फर्म का मालिक होना बताया। अप्रार्थी की फर्म पर रखे घी (ब्राण्ड कृष्णम) में मिलावट का शक होने पर फर्म में रखे घी (ब्राण्ड कृष्णम) को वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर-1212 अंकित कर सीलबन्ध किया गया। पत्रावली में सलंगन प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबन्ध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म से घी (ब्राण्ड कृष्णम) का नमुना लेते समय खाद्य सुरक्षा अधिनियमों की अक्षरशः पालना की गयी है जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये घी (ब्राण्ड कृष्णम) का नमुना कोड संख्या आर-1212 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की फर्म से लिया गया घी (ब्राण्ड कृष्णम) का नमुना Misbranded (मिथ्याछाप) पाया गया। जिसका अप्रार्थी द्वारा विक्रय करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों का उल्लंघन है तथा धारा 52 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी द्वारा Misbranded (मिथ्याछाप) घी (ब्राण्ड कृष्णम) का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी पर 15000/- अक्षर पन्द्रह हजार रुपये की शास्ति आरोपित की जाती है साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फौसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(डॉ राजेश गोयल)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 11/3/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली